RSV Higher Secondary School

V, J.N. Vyas Nagar, Bikaner Ph. 0151-2220411

Affiliated with CBSE, New Delhi Affiliation No. : 1730214 School Code : 16043

ADMISSION FORM

प्रवेश – पत्र

Admission No./प्रवेश संख्या............

Date/दिनांक....................................

Name of Student :____

(In English, in Capital letters)

छात्र का पूरा नाम (हिन्दी में)..

Religion/धर्म : ....Caste/जाति...

Date of Birth/जन्म दिनांक (In figure/अंकों में)..

(In Words/शब्दों में)____

Name of Father :____

(In English, in Capital letters)

पिता का पूरा नाम (हिन्दी में)..

Name of Mother :____

(In English, in Capital letters)

माता का पूरा नाम (हिन्दी में)..

Present occupation of his/her Father with designation and postal address of his office / पिता का व्यवसाय/पद मय कार्यालय का पता..

....

Present occupation of his/her Mother with designation and postal address of his office / माता का व्यवसाय/ पद मय कार्यालय का पता..

....

Present occupation of his/her Guardian with designation and postal address of his office/संरक्षक का व्यवसाय/पद मय कार्यालय का पता..

....

Present address of his father/guardian/पिता/संरक्षक का वर्तमान पता..

....

Telephone No./फोन नं. ....Residence/(निवास)...Office/(कार्यालय)

Permanent address of Student/छात्र का स्थायी पता..

....

Class in which admission is required/कक्षा जिसमें प्रवेश चाहता है..

Medium (Hindi / English)/माध्यम (हिन्दी/अंग्रेजी)..

Optional Subjects (if any)/ऐच्छिक विषय (यदि हों)1________________ 2________________ 3________________

(For Class XI and XII only)/(केवल XI व XII कक्षा हेतु)

Name of his/her previous school/पूर्व विद्यालय का नाम..

....

Signature of Student/हस्ताक्षर छात्र

(In Case of student of Class (9th to 12th)

....

Signature of Parent/Guardian

Admission is considered on the base of above mentioned particulars/पूर्ण विवरणानुसार छात्र / विद्यार्थी का प्रवेश स्वीकृत किया जाता है।

Principal

प्रवेश हेतु छात्र, पिता/अभिभावक द्वारा स्वीकृत नियमावली

1. प्रवेश पूर्व अपनी हर परिस्थिति से विचार कर लीजिये। प्रवेश के समय प्रथम तिमाही एवं वार्षिक शुल्क जमा हो जाने के बाद लौटाये नहीं जायेंगे। कक्षा नर्सरी से XII तक अप्रेल से मार्च माह तक की फीस ली जायेगी। चाहे अप्रेल के बाद कभी भी प्रवेश लिया जाये। एक सत्र में न्यूनतम बारह महीने की फीस ली जायेगी।
2. विद्यालय द्वारा बुलाये जाने पर निश्चित दिनांक व समय पर अभिभावक को विद्यालय में सम्पर्क करना होगा।
3. विद्यालय द्वारा बुलाये जाने पर नहीं मिलना, नियम की गम्भीर अवहेलना मानी जायेगी। उस स्थिति में प्रिन्सिपल का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।
4. छात्र की उपस्थिति शिक्षा विभाग, राजस्थान तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नियमानुसार पूरी करते रहने की जिम्मेदारी अभिभावक की होगी। छात्र द्वारा अभिभावक को सूचना नहीं मिलने पर जिम्मेदारी विद्यालय की नहीं होगी। अभिभावक से आशा की जाती है कि छात्र की उपस्थिति के बारे में सजग व सचेत रहें तथा सन्देह की स्थिति में विद्यालय से जानकारी स्वयं लेने की तत्परता रखें, विशेषतः अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व।
5. विद्यालय की सम्पति को हानि पहुँचाने वाले छात्र के अभिभावक को क्षतिपूर्ति करनी होगी।
6. विद्यार्थी की प्रगति हेतु विद्यालय द्वारा भरसक प्रयत्न के बाद भी विद्यार्थी किसी शारीरिक या मानसिक विशेष कठिनाई के कारण संतोषजनक प्रगति नहीं करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
7. विद्यार्थी की अस्वस्थता या संक्रामक बीमारी की स्थिति में विद्यालय में बैठना उचित है या नहीं, इसका निर्णय प्रधानाचार्य के विवेकाधिकार द्वारा मान्य होगा।
8. विद्यार्थी को विद्यालय समय में बाहर जाने की स्वीकृति नही दी जायेगी। अतः अपरिहार्य स्थिति में प्रधानाचार्य को विश्वस्त कराये बिना छुट्टी दिलाने का आग्रह अभिभावक नहीं करेंगे।
9. विद्यालय जीवन में अनेक बार ऐसी स्थितियाँ भी आ जाती है जिनमें छात्र के आचार-विचार, व्यवहार तथा अनुशासन के दोषों को प्रमाण देकर उजागर नहीं किया जा सकता, किन्तु विद्यालय के हित में छात्र का विद्यालय त्याग ही बेहतर होता है। उस समय प्रधानाचार्य के निर्णय को अन्तिम रूप से स्वीकार करना होगा। वाद-विवाद में विद्यालय का समय व शक्ति का अपव्यय नहीं किया जायेगा।
10. ट्यूशन की प्रवृत्ति को हम पूर्णतया निरूत्साहित करते हैं, किन्तु यदि छात्र की किसी विशेष परिस्थितियों में गुणवता की दृष्टि से ट्यूशन की आवश्यकता महसूस होगी तो विषय-अध्यापक से विचार विमर्श करके प्रधानाचार्य की आज्ञा से ट्यूशन सम्भव होगी, केवल छात्र और अभिभावक के भावावेश से नहीं।

....
हस्ताक्षर पिता/संरक्षक

छात्र/अभिभावक द्वारा स्वीकृति

मैंने विद्यालय के प्रवेश-पत्र, प्रोस्पेक्टस, डायरी आदि में प्रस्तुत एवं अभी तक घोषित एवं परम्परागत नियमों, निर्देशों को भली-भाँति पढ़ लिया है, जिनकी अनुपालना में सहज व सरल हृदय से शिक्षा और विद्यालय की गरिमा को रखते हुए करता रहूँगा। मतभेद की परिस्थिति में विवादग्रस्त नहीं होकर मैं प्रधानाचार्य के विवेकाधिकार से दिये गये निर्णय को स्वीकार करूँगा। अपने वैधानिक एवं प्रजातान्त्रिक अधिकारों का विद्यालय के विरूद्ध दुरूपयोग नहीं करूँगा।

....
हस्ताक्षर पिता/संरक्षक

छात्र/पिता व संरक्षक द्वारा वचनाबद्धता

1. मैंने छात्र के पिता का नाम व छात्र की जन्म तिथि को सही लिखा है। पूर्व प्रमाण-पत्र के अनुसार भी सही लिखा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के लिये भी वर्तनी सहित इसे सही माना जायें।
2. विद्यालय द्वारा चाहे गये प्रमाण-पत्र [(a)..................................(b)..................................(c)..................................] में दिनांक.................................. तक प्रस्तुत कर दूँगा, जिसके बाद उसके अभाव में प्रवेश का निरस्त हो जाना मुझे स्वीकार होगा।
3. छात्र के पिता या हस्ताक्षरित संरक्षक/परिचित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी भी परिचित-अपरिचित व्यक्ति का प्रतिनिधित्व विद्यालय में छात्र के लिये स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. विद्यालय के सभी नियमों व निर्देशों का पालन करूँगा।

....
हस्ताक्षर पिता/संरक्षक